

न्यायालय कलकत्ता, कलकत्ता, सांभर लोक (जयपुर संभाग)

उन्वयन:- रामचन्द्र बनाम मोहन शर्मा

प्रकरण: T.I.

पुनः दर्ज क्र. 40/24
पुराना 114 : 51/23

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/11/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् - वादी/प्रतिवादी उपस्थित/अनुपस्थित <input checked="" type="checkbox"/> पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक को पेश है।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित है। वकील पक्षकारान् द्वारा T.I. पत्रावली में प्रस्तुत बयान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने किया। मूल बयान नक़्वा-कुरंगार प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्तुत बयान के आधार पर प्रतीत होता है प्रकरण में अब स्थगन आदेश की आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली का कार्यवाही का माहल आस्थापनी विवेचना एतद्वारा खारिज किया जाना है। पत्रावली केसल सुनार लेकर बाद नक़्वा-कुरंगार कारखाने देकर ले। निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया जाकर मुझे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] सहायक कलेक्टर सांभर लोक (जयपुर)</p>